न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4024–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 662/12–13/अपील.

1– बबन पिता डोगर गुर्जर
2– लखत पिता डोगर गुर्जर
3– अम्बालाल उर्फ पप्पू पिता डोगर गुर्जर
निवासीगण ग्राम बंझर
तहसील भीकनगांव जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– अनिल पिता अम्बालाल ब्राम्हण
2– संजय पिता अम्बालाल ब्राम्हण
निवासीगण ग्राम बंझर
तहसील भीकनगांव जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री महेन्द्रसिंह यादव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 गंगवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 7/3/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, भीकनगांव जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया कि उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बंझर स्थित भूमि सर्वे कमांक 580/2 रकबा 1.497 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु आवेदकगण के लिए परम्परागत रास्ता शासकीय भूमि सर्वे कमांक 438/1 से होकर नाले से उतरने के बाद अनावेदकगण की भूमि के उत्तर दिशा की मेड़ से जाता है । अनावेदकगण द्वारा पत्थरों की पाल लगाकर आवेदकगण का रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–13/2010–11 दर्ज कर दिनांक 14–11–11 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया गया कि आवेदकगण शासकीय रास्ता सर्वे कमांक 438/1 के समाप्त होने तक पहुॅचकर नाले किनारे अपनी बैलगाड़ी छोड़ बैलों को मुस्का लगाकर तथा अपनी फसल व कृषि यंत्र मानव श्रम से लाने–ले जाने का कार्य सर्वे कमांक 580/1 से कर सकते हैं । आवेदकगण को यह भी स्पष्ट आदेश दिया गया कि अनावेदकगण की खड़ी फसल से बैलगाड़ी अथवा ट्रेक्टर नहीं ले जायें । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भीकनगांव जिला खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–5–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–9–2013 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण ने उमाकांत से कय की है, और विकय पत्र में प्रश्नाधीन रास्ते का उल्लेख किया गया है, इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को रास्ता नहीं देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन परम्परागत रास्ता होना तो स्वीकार किया गया है, परन्तु आदेश में यह प्रतिबंध लगाने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है कि आवेदकगण शासकीय रास्ता सर्वे कमांक 438/1 के समाप्त होने तक पहुॅच कर नाले किनारे अपनी बैलगाड़ी छोड़ बैलों को मुस्का लगाकर तथा अपनी फसल व कृषि यंत्र मानव श्रम से लाने–ले जाने का कार्य

सर्वे कमांक 580/1 से कर सकते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा अभिभाषक की सलाह के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–7–13 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, तत्पश्चात अभिभाषक द्वारा आवेदकगण को अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई । अतः अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, इस आधार पर कहा गया कि विलम्ब का कारण समाधानकारक होने से अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाते हैं तो आवेदकगण को अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने में अत्यंत असुविधा होगी । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय में साक्षियों द्वारा अपने साक्ष्यों से प्रमाणित किया गया है कि आवेदकगण शासकीय रास्ता सर्वे कमांक 438/1 का उपयोग करते हुए नाले के मुहाने तक पहुंचते हैं, इसके बाद बैलगाड़ी छोड़ कर बैलों को मुस्का लगार अपने खेतों को जाते हैं, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 123/बी–121/2011–12 में दिनांक 9–7–2013 को आदेश पारित कर अपीलीय न्यायालय को संहिता की धारा 131 के प्रकरणों के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना ठहराते हुए अपील निरस्त की गई है, अतः आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी होने के पश्चात भी उनके द्वारा दिनांक 23–5–12 को एक वर्ष से भी अधिक समय पश्चात अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ अभिभाषक का शपथ पत्र नहीं लगाया गया है कि अभिभाषक की गलत सलाह के कारण वे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–5–12 के विरूद्ध समय–सीमा में निगरानी प्रस्तुत करने से निवारित रहे ।

(4) आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष नवीन रास्ता दिलाए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इससे सिद्ध है कि अभिभाषक के गलत सलाह दिये जाने संबंधी कथन असत्य है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण में संलग्न अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा अभिभाषक की गलत सलाह के कारण संहिता की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर आवेदकगण को सलाह दी गई है कि यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट हैं तो वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसी कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है । स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें विलम्ब का समाधानकारक कारण दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । वैसे भी सामान्यतः जब तक कि असाधारण विलम्ब न हो, प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का

आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को गुण–दोष पर निराकरण किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर